फाइल क्रमांक:7/56/2022
भारत सरकार
खान मंत्रालय

शास्त्री भवन, नयी दिल्ली
दिनांक : 12 दिसम्बर, 2025

सेवा में,

मुख्य सचिव महोदय,
छत्तीसगढ़ शासन,
महानदी भवन,
नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय : कोरबा ज़िला में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की राशि ₹25 करोड़ के कथित फर्जी हस्तांतरण एवं भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन पर जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में श्री नरेश चंद्र गुप्ता, अधिवक्ता, रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा माननीय खान मंत्री एवं खान सचिव को संबोधित पत्र दिनांक **09.12.2025** का एक प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन में यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2018 में कोरबा ज़िला के तत्कालीन कलेक्टर श्री अब्दुल केशर हक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के बैंक खाते से ₹25 करोड़ की राशि का फ़र्ज़ी तरीके से हस्तांतरण किया गया। प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक, आईटीआई कॉलोनी, रामपुर कोरबा स्थित डीएमएफटी खाते क्रमांक **35426068489** से दिनांक **18.09.2018** को ₹25 करोड़ की राशि केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौधोगिकी संसथान (सिपेट) के खाते में हस्तांतरित दिखाया गया है।

2. प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि सिपेट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के पत्र दिनांक **20.11.2024** के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि **01.04.2018** से **31.03.2019** की अवधि के दौरान डीएमएफटी कोरबा से सिपेट को किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं हुई है। इससे उक्त राशि के फर्जी खाते में हस्तांतरण की आशंका व्यक्त की गई है।